17/4/25

अपीलार्थी / अपीलांट अधिवक्ता को बार-बार आवाजें लगवाई गई। इन्तजार किया। कोई उपस्थित नहीं हुआ। अपील अपीलांट पैरवी के अभाव में खारिज

आदेश जारी आदेश की आवश्यक कार्यवाही की जावे। पत्रावली में आवश्यक कार्यवाही होकर दाखिल रिकार्ड होवे।

पुनःश्च,

हस्ताक्षर किये जाने पर अपीलांट अधिवक्ता उपस्थित।

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान छुट्टी बनाम मोहिना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज मु० 29/08	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	रेस्पो० के अधिवक्ता ने कथन किया कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा मृतक मोहीना के का०मु० की कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 CPC दिनांक 6/1/12 को लगभग 4 वर्ष पश्चात पेश किया है। जबकि मोहीना की मृत्यु दिनांक 10/10/08 को हो चुकी थी इसके अलावा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु मियाद अधिनियम का प्रा० पत्र धारा 5 व शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है। इस कारण अपीलांट की अपील अबेट होने से खारिज फरमाई जावे।	
	अपीलांट अधिवक्ता का कथन रहा कि मृतक मोहीना की मृत्यु की जानकारी समय पर नहीं हो सकी। मोहीना की मृत्यु की जानकारी होने पर ही प्रार्थना पत्र जानकारी के आधार पर पेश किया है अतः जानकारी अनुसार प्रा० पत्र अन्दर मियाद शुमार माना जावे।	
	उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया जिससे यह तथ्य सामने आये कि अपीलांट अधिवक्ता द्वारा मृतक मोहीना के का०मु० की कार्यवाही हेतु प्रा० पत्र O22 R4 CPC मोहीना की मृत्यु के लगभग 4 वर्ष पश्चात पेश किया है साथ ही प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को माफ करने हेतु धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी पेश नहीं किया है जिससे कि प्रा० पत्र पर विचार किया जा सके। इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अधिवक्ता अपने प्रकरण के प्रति गंभीर नहीं है। अतः अपील अपीलांट अबेट होने से खारिज [illegible] जाती है। पत्रावली में आवश्यक [illegible] रिकार्ड होवे।	
	राजस्व अपील प्राधिकारी सवाई माधोपुर	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Bairot
Date: 2025.10.10 13:44:59 IST
Reason: SelfAttested